परन्तु यह कि,पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से किसी स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग–पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. परिषद भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15.(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित पत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

(2)किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

(3)लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात आयोग नियम--6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जो लिखित परीक्षा के परिणाम पर इस सम्बंध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों। प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंको को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको में जोड़ दिया जायेगा।

(4)आयोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे, संस्तुति करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर--बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर रखा जायेगा। आयोग सूची को परिषद को अग्रसारित करेगा। परिषद सूची में से अपेक्षित नामों की संख्या,नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती,अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर,समय--समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सपरामर्श चयनोन्नति(प्रक्रिया) नियमावली,1970 के अनुसार की जायेगी। आयोग चयनित अभ्यर्थियों की सूची परिषद को अग्रसारित करेगा। परिषद सूची में से अपेक्षित नामों की संख्या नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

संयुक्त चयन सूची

17. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–छः--नियुक्ति,परिवीक्षा,प्रशिक्षण,स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18.(1)नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम 15,16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये